दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 28.03.2023

\+ **रि.या.(सि.) 3957/2023**

शुक्ला इंटरप्राइजेज प्राइवेट लि. ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री शिवेन खुराना, अधिवक्ता।

बनाम

सहायक आयुक्त, आयकर -सर्किल 22(2) दिल्ली एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री रुचिर भाटिया, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री प्रिया सरकार, कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता|

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितास्ता गंजू
[भौतिक सुनवाई /हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्या., राजीव शकधर: (मौखिक)

<u>सि.वि. आ. 15431/2023</u>

1. न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति दी जाती है।

<u>रिट याचिका (सि) 3957/2023 एवं सि वि आ. 15432/2023</u> [अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन]

2. नोटिस जारी किया जाए।

2.1 श्री रुचिर भाटिया, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. हमारे द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए, श्री भाटिया का कहना है कि वह वर्तमान में न्यायालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ेंगे।

4. इसलिए, पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से, रिट याचिका को सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

5. यह रिट याचिका धारा 148ए (डी) के तहत पारित दिनांक 29.07.2022 के आदेश और आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 148 के तहत पारित दिनांक 30.07.2022 के पारिणामिक नोटिस के खिलाफ निर्देशित है।

5.1 इसके अलावा, अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत जारी दिनांक 25.05.2022 के कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि यह बी के आर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, "बीकेआर") द्वारा प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों के लाभार्थियों में से एक है| याचिकाकर्ता/राजस्व के अनुसार, यह संस्था एक, बजरंग लाल पेरीवाल द्वारा नियंत्रित है|

6.1 यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2016-2017 [आकलन वर्ष (आकलन वर्ष) 2017-2018] में, असुरक्षित ऋणों के रूप में 50,00,000/- रुपये प्राप्त किए थे।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 08.06.2022 और 28.08.2022 को दो जवाब दाखिल किए गए थे| जबकि पहले में धारा 148ए (बी) के तहत जारी नोटिस को निर्देशित किया गया था, और दूसरा जवाब अधिनियम की धारा 148ए (डी) के तहत आदेश पारित होने के बाद प्रस्तुत किया गया था।

7.1 अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ता का यह रुख अपनाया प्रतीत होता है कि विवादित अवधि के दौरान, जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसने बीकेआर से ऋण नहीं लिया था, बल्कि कथित इकाई को 50,00,000/- रुपये का भुगतान किया था|

7.2 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह स्वीकारते हुए कहा कि, दस्तावेजों का पूरा संग्रह याचिकाकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि प्रासंगिक समय पर, यह रुख लिया गया था कि चूंकि सामग्री/जानकारी 5 एमबी से अधिक हो गई है,

इसे आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकता है, और यह कि इसे याचिकाकर्ता को अलग से भेजा जाएगा|

7.3 हमें सूचित किया जाता है कि याची ने, अपने पूर्वोक्त जवाबों में, यह मुद्दा उठाया था, अर्थात्, कि उसे वह सामग्री/जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पृष्ठ 49 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया हैं, जो मामले से संबंधित जानकारी विवरण (सीआरआईडी) का उल्लेख करता है|

7.4 मामले से संबंधित जानकारी विवरण में, बजरंग लाल पेरीवाल, राम सोगार्थ महतो, नीलम देवी, महेंद्र मोंडल और खुशवंत सिंह रावत द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख है।

7.5 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथित बयानों में से कोई भी बयान याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया है।

7.6 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को "जाँच मूल्यांकन रिपोर्ट के भाग" की एक प्रति भी नहीं दी गई है|

8. इस स्थिति को देखते हुए, हम दिनांक 29.07.2022 के आक्षेपित आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत दिनांक 30.07.2022 को जारी नोटिस को रद्द करना चाहते हैं।

8.1 तथापि, निर्धारण अधिकारी (एओ) को इस मामले में, यद्यपि विधि के अनुसार, अगला कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई है।

8.2 इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, निर्धारण अधिकारी वह पूरी सामग्री/जानकारी जो उसके अधिकार में है और जो मामले से संबंधित जानकारी विवरण (सीआरआईडी) में उल्लिखित है, प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में, अर्थात् यदि सामग्री/जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो निर्धारण अधिकारी याचिकाकर्ता को पूरक जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगा|

9. इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का खर्च भी वहन करेगा। निर्धारण अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सुनवाई की तारीख और समय को दर्शाएगा।

10. चूंकि हमने पूर्वोक्त आदेश और सूचना को रद्द कर दिया है, अतः अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत जारी किया गया दिनांक 20.03.2023 का नोटिस, स्पष्ट रूप से, समाप्त हो जाएगा।

11. रिट याचिका का निपटान पूर्वोक्त शर्तों के संबंध में किया जाता है।

12. लंबित आवेदन भी समाप्त हो जाएंगे।

13. पक्षकारगण आदेश की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

राजीव शकधर, न्यायमूर्ति

तारा वितास्ता गंजू, न्यायमूर्ति

मार्च 28,2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*